**FORM III**

**फर्द अहकाम**

**(नियम – 26)**

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

**राजकुमार सिंह बनाम भूमिधारी, पाटन**

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र 136 भू. रा. अधिनियम मु0नं0 511 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/619

| | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 4 | रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री रामजीलाल गुर्जर एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक **11.11.2024** को पेश हो।<br><br>(मुकेश चौधरी)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीम का थाना<br><br>11/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 6/1/25 को पेश हों।<br><br>6/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/2/25 को पेश हो।<br><br>11/2 पत्रावली पश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 20/06 को पेश हों।<br><br>20/06 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 15/07 को पेश हों। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:31 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना**<br>**उनवानी राजकुमार सिंह बनाम भूमिधारी नीमकाथाना मु.सं. 511/2024** |
|---|---|
| 15-07-2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती है। वकील प्रार्थी की प्रकरण में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। |

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का गलत नाम ''रामकुमार सिंह पुत्र भंवर सिंह'' दर्ज हैं जबकि प्रार्थी का नाम ''रामकुमार सिंह पुत्र भंवर सिंह'' की जगह ''राजकुमार सिंह पुत्र भंवर सिंह'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड व पैन कार्ड इत्यादि तथा तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 भू.रा.अधि. स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं किः—

**आदेश**

तहसीलदार पाटन तन ग्राम बिहारीपुर तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 600 रकबा 0.97 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम ''रामकुमार सिंह पुत्र भंवर सिंह'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''राजकुमार सिंह पुत्र भंवर सिंह'' दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:31 IST
Reason: SelfAttested